न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम जिला अलवर

पीठासीन अधिकारी: बलवन्तसिंह लिग्री आर.ए.एस

राजस्व वादपत्र सं0	दायरा दिनांक	निर्णय दिनांक
105/2015	09.06.2015	03-10-2016

अनुवान

रामान्नद बनाम सरकार

1. रामानन्द पुत्र श्रीराम जाति अहीर निवासी ग्राम मुनपूरठाकरान तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज0 ।

:— वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी अधिकारी लैण्ड होल्डर तहसीलदार कोटकासिम तह0 कोटकासिम जिला अलवर राज0।

:— प्रतिवादी

दावा इश्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज
अंतर्गत धारा 88, 89, राज0 टी0 ऐ0 1955

उपस्थितः
1. श्री कृष्णकुमारयादव अधिवक्ता, वादी

निर्णय

वादी द्वारा एक वाद इश्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज अंतर्गत धारा 88, 89, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 इस न्यायालय में पेश किया। वाद में वादी की ओर से तथ्य इस प्रकार वर्णन किये कि विवादित आराजी हाल खसरा नम्बर 269/0–06 बीघा वाके ग्राम मुनपूर ठाकरान तह0 कोटकासिम जिला अलवर राज0 महादेई उर्फ, हरदेई पुत्री लालिया जाति गुर्जर निवासी ग्राम चाचियावास हाल मुनपूर ठाकरान की खरीदशुद्वा आराजी थी। जिस पर महादेई उर्फ हरदेई अपने जीवनकाल में काबिज काश्त थी जो फौत चुकी हैं मृतक महादेई उर्फ हरदेई के कोई जाईन्दा वारिसान पुत्र अथवा पुत्री नहीं थे। केवल मात्र महादेई उर्फ हरदेई का एक भाई मामनराम का पुत्र तोताराम था जो मृतक महादेई उर्फ हरदेई के जीवनकाल से ही विवादित आराजी पर बहेसियत वारिसत काबिज काश्त रहा। तोतराम पुत्र श्री मामनराम जाति गुर्जर ने बहेसियत वारिस मृतक महादेई उर्फ हरदेई के विवादित आराजी को वाजाप्ता बाकब्जा प्रतिफल की राशि मिन वादी से प्राप्त कर दिनांक 16.8.1978 को बेचान कर दिया। जिसका नामान्तरकरण सं. 126 मिन वादी के हक में दर्ज व स्वीकार दिनाक 28.8.1978 को मंजूर हो चुका है। विवादित आराजी पर मिन वादी वक्त खरीद

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner

से बहेसियत खातेदार काबिज काश्त है और आज दिन भी मौके पर विवादित आराजी पर मिन वादी का कब्जा काश्त हैं तथा फसल बोई थी जिसे काटा व समेटा हैं राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों के द्वारा मिन वादी के हक में दर्ज नामान्तरकरण सं. 126 का अमल राजस्व रिकोर्ड जमाबंदीयात में सहवन व भूलवश नहीं किया गया। मिन वादी को ऋण की आवश्यकता होने पर मिन वादी ने हल्का पटवारी से दिनांक 25.3.2015 को जमाबंदी विवादित आराजी की लेनी चाही तो सर्वप्रथम मिन वादी को उक्त नामान्तरकरण राजस्व रिकोर्ड में अमल नहीं होने की जानकारी हुई। तब मिन वादी ने मौखिक प्रतिवादी सं. 1 से उक्त नामान्तरकरण को राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद कराने का निवेदन किया तो उन्होनें अदालत से आदेश लाने को कहा जिस पर मिन वादी ने नकुलात दिंनाक 8.4.2015 तक प्राप्त कर वकील व मुकदमा का खर्चा का इंतजाम कर यह दावा इश्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज अदालत श्रीमान में पेश करना लाजिम आया हैं इसलिये विवादित आराजी के राजस्व रिकोर्ड से महादेई उर्फ हरदेई का नाम हजफ मिन वादी कराने का व अपने आपको खातेदार काश्तकार घोषित कराने का अधिकारी है। मिन वादी के दावा हाजा में हक हकूक कानूनन रक्षित है। इसलिये मिन वादी को अपने हकूको को रक्षार्थ यह वादपत्र पेश करना लाजिम आया है। वादपत्र हेतु बिनायदवामी व बिनायमुखासमत दिनांक 25.3.15 व 8.4.15 को पैदा हुई है जिससे वादपत्र अन्दर अवधि पेश हैं वैसे भी इश्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज के वाद में कानूनन कोई समय सीमा निर्धारति नहीं होती है। प्रतिवादी सं. 1 को वादपत्र में पक्षकार मुकदमा बनाने से पूर्व उसे 80 जा. दी. के तहत दी माह का नोटिस दिया जाना आवश्यक है परन्तु मिन वादी उक्त गलत इन्द्राज को शीघ्र दुरूस्त कराकर किसार केडिट कार्ड अपनी विवादित आराजी के विस्तार हेतु बनवाना है जिससे कि मामला आवश्यक प्रकृति का हो जाने की वजह से प्रतिवादी सं0 1 को वादपत्र मे पक्षकार मुकदमा बनाने से पूर्व उसे 80 जा. दी. के तहत दी माह का नोटिस दिया जाना संभव नहीं हो सका है। इसलिये उसे रफाऐ उज्राज 80 (2) जा. दी. का प्रार्थनापत्र अलग से पेश किया हैं अतः प्रार्थना है कि वाद वादी विरूद्व प्रतिवादी अः–डिक्री इजराय इश्तकरारहक पारित की जाकर आराजी हाल खसरा नम्बर 269/0–06 बीघा वाके ग्राम मुनपुर ठाकरान तह0 कोटकासिम जिला अलवर राज0 का वादी काबिज खातेदार काश्तकार है और वादी को काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। बः– डिक्री इजराय दुरूस्ती इन्द्राज पारित की जाकर आराजी हाल खसरा नम्बर 269/0–06 बीघा वाके ग्राम मुनपुर ठाकरान तह0 कोटकासिम जिला अलवर राज0 के राजस्व रिकोर्डस से महादेई उर्फ हरदेई पुत्री श्री लालिया का नाम कलमजन किया जाकर उसके स्थान पर वादी रामानन्द पुत्र श्री श्रीराम जाति अहीर ग्राम मुनपुर ठाकरान तह0 कोटकासिम

उप खण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner

अलवर के नाम का इन्द्राज किय जावे। स:– अन्य दीगर दादरसी जो अदालत श्रीमान मुनासिब समझे वादी को अता फरमाई जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया गया । प्रतिवादी को जर्ये नोटिस सुनवाई का अवसर दिया गया।

प्रतिवादी पैरोकार ने अपने जवाब में मु0 महादेई की विरासत तोताराम सिद्ध होने पर राज्य सरकार का कोई हित नहीं होना दर्ज किया गया है।

वादी की ओर से दस्तावेजात नकल जमाबन्दी सम्वत 2068 से 2071, नकल दस्तावेज बयनामा दिनांक 28.8.198, नकल नामान्तरकरण सं0 126 वाके ग्राम मूनपुरठाकरान, नकल जमाबन्दी सम्वत 2035 पेश किये गये। साक्ष्य वादी रामानन्द का शपथपत्र पेश किया गया।

वादी के विद्वान अधिवक्ता की एक पक्षीय बहस सुनी गई ।

वादी के विद्वान अधिवकता ने अपनी बहस में वादपत्र के तथ्यों को दोहराया तथा राजस्व रिकार्ड में जो गलत तौर पर महादेई उर्फ हरदेई के नाम का अमल हो रहो है उसको कलमजन कर वादी का राजस्व रिकार्ड में इन्तकाल का अमल कराने निवेदन किया गया।

मेरे द्वारा वादी के विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया व पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। मुताबिक बयनामा के नामान्तरकरण सं 126 वाके ग्राम मूनपुरठाकरान के बहक वादी ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 29.10.1980 को बाद जांच सर्ववसम्मति से स्वीकार किया गया है। इस नामान्तरकरण के विरुद्ध कोइ स्थगन या अपील के सम्बन्ध में कोई जानकारी तहसीलदार ने अपने जवाबमें अंकित न ही की है। वादी का वारिस होना ग्राम पंचायत के सर्वसम्मति से निर्णय किये जाने से साबित होता है। अतः नामान्तरकरण सं 126 वाके ग्राम मूनपुरठाकरान का राजस्व रिकार्ड में अमल किये जाने पर कोई कानूनी अड़चन प्रतीत नहीं है। वादी विवादित आराजी पर खातेदारी पाने का अधिकारी साबित है।

आदेश

वादी का वाद डिक्री किया जाता है। वादी को विवादित आराजी हाल खसरा नम्बर 269/0–06 बीघा वाके ग्राम मुनपूर ठाकरान तह0 कोटकासिम जिला

उप खण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner

अलवर राज0 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। उक्त विवादित आराजी के राजस्व रिकार्ड से महादेई उर्फ, हरदेई पुत्री लालिया जाति गुर्जर निवासी ग्राम चाचियावास हाल मुनपूर ठाकरान का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। वादी रामानन्द पुत्र श्रीराम जाति अहीर निवासी ग्राम मुनपूरठाकरान तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज0 के नाम खातेदारी का अमल दरामद राजस्व रिकार्ड में किया जावे। पर्चा डिक्री जारी की जावे।

निर्णय आज दिनांक 3-10-16 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बलवन्त सिंह लिम्बा)
उप खण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर) राज०

Scanned by CamScanner

पर्चा डिकी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम जिला अलवर

पीठासीन अधिकारीः बलवन्तसिंह लिम्री आर.ए.एस

राजस्व वादपत्र सं0	दायरा दिनांक	निर्णय दिनांक
105 / 2015	09.06.2015	03-10-2016

अनुवान

रामान्नद बनाम सरकार

1. रामानन्द पुत्र श्रीराम जाति अहीर निवासी ग्राम मुनपूरठाकरान तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज0 ।

:— वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी अधिकारी लैण्ड होल्डर तहसीलदार कोटकासिम तह0 कोटकासिम जिला अलवर राज0।

:— प्रतिवादी

दावा इश्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज
अंतर्गत धारा 88, 89, राज0 टी0 ऐ0 1955

उपस्थितः
1. श्री कृष्णकुमारयादव अधिवक्ता, वादी

आदेश

वादी का वाद डिक्री किया जाता है। वादी को विवादित आराजी हाल खसरा नम्बर 269 / 0—06 बीघा वाके ग्राम मुनपूर ठाकरान तह0 कोटकासिम जिला अलवर राज0 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। उक्त विवादित आराजी के राजस्व रिकार्ड से महादेई उर्फ, हरदेई पुत्री लालिया जाति गुर्जर निवासी ग्राम चाचियावास हाल मुनपूर ठाकरान का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। वादी रामानन्द पुत्र श्रीराम जाति अहीर निवासी ग्राम मुनपूरठाकरान तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज0 के नाम खातेदारी का अमल दरामद राजस्व रिकार्ड में किया जावे।

पर्चा डिकी आज दिनांक 03-10-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मुहर न्यायालय से जारी की गई।

(बलवन्त सिंह लिम्री)
उप खण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर) राज०

Scanned by CamScanner